भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1673

उत्तर देने की तारीख : 29.07.2026

राज्य हज समितियों के गठन में विलंब

1673. डॉ. मोहम्मद जावेद:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्यों में लंबे समय से राज्य हज समितियों का गठन नहीं किया गया है और यदि हां, तो ऐसे राज्यों का ब्यौरा क्या है और राज्य-वार ये समितियां कितने समय से गठित नहीं की गई हैं,

(ख) इन राज्यों में राज्य हज समितियों का गठन न होने के क्या कारण हैं और क्या यह विलंब राज्य सरकारों, केंद्र सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण के कारण हुआ है; और

(ग) सरकार द्वारा संबंधित राज्यों में राज्य हज समितियों के गठन को सुगम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इन समितियों का गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग): हज समिति अधिनियम, 2002 की धारा 17(1) के अनुसार, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में राज्य हज समिति का गठन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा किया जाता है। अतः राज्य हज समितियों के गठन की स्थिति तथा उनके गठन में यदि कोई विलंब हुआ है, तो उसके कारणों की जवाबदेही संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है।
